

क्रमांक:- एस्टे/डीईएस/सेवा.नि./2021-22/01

दिनांक :- 03/01/2022


कार्यालय-आदेश

राजस्थान अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा के निम्नलिखित सहायक सांख्यिकी अधिकारियों की 60 वर्ष की अधिवार्षिता आयु पूरी कर लेने पर इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 58/ए/(1) वित्त विभाग की अधिसूचना प.1/6/वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कालम संख्या 5 में अंकित दिनांक को मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	सेवा निवृत्ति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री नवनीत कुमार गुप्ता	कार्यालय, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।	11.11.1962	30.09.2021
2.	श्री मुरारी लाल सोनी	निदेशालय प्राविधिक शिक्षा, जोधपुर।	05.04.1962	30.04.2022
3.	श्री नवीन कुमार अग्रवाल	कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर।	31.07.1962	31.07.2022
4.	श्री बजरंग लाल शर्मा	कार्यालय पंचायत समिति झुंझनु।	05.08.1962	31.08.2022
5.	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	कार्यालय जिला परिषद (ग्रावि.प्र.) अलवर।	20.09.1962	30.09.2022
6.	श्री राम गोविन्द साहु	कार्यालय, पंचायत समिति, रैणी (अलवर)।	02.03.1963	31.03.2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित सहायक सांख्यिकी अधिकारियों के विरुद्ध आज तक :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
3. क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर कार्यालय,.....
।
4. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,..... ।
5. निजी सहायक, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, मुख्यालय।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, मुख्यालय।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मु0 को विभागीय वेब साईड पर अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित विभाग / कार्यालय..... ।
9. श्री..... ।
10. निजी /रक्षि पत्रावली।


(आकाश पाठक)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन),